# न्यायालय भुमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा।

विविध वाद सं0–09/21–22

## मसरूद्दीन खान बनाम राज्य एवं अन्य

| आदेश की क्रम एवं तारीख | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | अभ्युक्ति |
|---|---|---|
| 24/08/22 | आवेदक मसरूद्दीन खान, पिता–स्व0 कासमुद्दीन खान, ग्राम–बरूरा, थाना–प्रतापपुर, जिला–चतरा द्वारा अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के विविध वाद संख्या–08/2020–21 में दिनांक–10.03.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध अधिवक्ता के माध्यम से अपील आवेदन दायर किया गया है। तदनुसार यह वाद न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा में प्रारम्भ किया गया।<br><br>उपरोक्त वाद की सुनवाई हेतु न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा द्वारा संबंधित पक्षों को मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष द्वारा अपने–अपने पक्ष में लिखित बहस समर्पित किया गया।<br><br>**प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि–**" यह है कि खाता संख्या–27, प्लॉट संख्या–506, रकवा–6.48 मधे रकवा–1.23 एकड़ भूमि अपीलार्थी के पिता कसमुद्दीन खान को पारिवारिक बंटवारा के माध्यम से प्राप्त हुआ है। मौजा–बरूरा, थाना–प्रतापपुर पुराना जिला–हजारीबाग, वर्तमान जिला–चतरा के खाता संख्या–27, प्लॉट संख्या–506, रकवा–6.48 एकड़ अपीलार्थी के पूर्वज नवाब खान पिता–नुरदली खान के नाम से **सर्वे खतियान में बकास्त दर्ज है।** बंटवारा के बाद अपीलार्थी के पिता कसमुद्दीन खान अपने हिस्से वाली जमीन पर शांतिपूर्वक काबिज होकर विभिन्न प्रकार के फसल उगाकर अपने उपभोग में लाते रहे है। कसमुद्दीन खान के मृत्यु के बाद इनके वारिसान मसरूद्दीन खान (अपीलार्थी) पिता से प्राप्त भूमि पर शांतिपूर्वक दखलकार हैं। जमीन्दारी उन्मूलन के बाद बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के लागु होने के बाद | |

अपीलार्थी के पिता के नाम से जमाबंदी कायम होकर सरकारी लगान रसीद निर्गत हुआ। यह है कि मसारूद्दीन के द्वारा अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के समक्ष प्रश्नगत भूमि का पिता के नाम से बकाया लगान रसीद निर्गत करने तथा विपक्षीगण का जमाबंदी रद्द करने से संबंधित अभ्यावेदन दाखिल किया गया। इस आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, प्रतापपुर द्वारा संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक, अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आधार पर अंचल अधिकारी, प्रतापपुर द्वारा आवेदक के विरूद्ध के आदेश पारित किया गया है, इस प्रकार यह अपील आवेदन दाखिल किया गया। यह है कि विपक्षी सर्वे खतियानी रैयत के वंशावली में नहीं आते है। यह है कि अपीलार्थी के द्वारा अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के समक्ष विपक्षी का जमाबंदी रद्द करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया था, जिसके आधार पर विविध वाद संख्या–08/2020–21 संधारित कर अंचल अधिकारी, प्रतापपुर द्वारा जॉच प्रतिवेदन की मॉग राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से किया गया। जॉच प्रतिवेदन में अपीलार्थी का दखल कब्जा को स्वीकार किया गया है। जॉच प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि विपक्षी का जमाबंदी बिना किसी सक्षम पदाधिकारी के आदेश से चल रहा है साथ ही साथ प्राधिकार कॉलम मे किसी अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है। अंचल अधिकारी, प्रतापपुर द्वारा विपक्षी को उपस्थित होकर कागजात प्रस्तुत करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया परंतु अंचल अधिकारी, प्रतापपुर द्वारा अपीलार्थी को बिना मौका दिए हुए दिनांक–10.03.2021 को अपीलार्थी के विरूद्ध आदेश पारित किया गया जो कि Record Maintenance Act, 1973 के प्रावधानों के विरूद्ध है। अंचल अधिकारी, प्रतापपुर द्वारा विविध वाद संख्या–08/2020–21 में पारित किया गया आदेश को छिपा कर रखा गया। अपीलार्थी अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के आदेश की जानकारी होने के बाद यह अपील वाद दायर किया जा रहा हैं। यह है कि अंचल अधिकारी, प्रतापपुर द्वारा पारित आदेश खारिज करने के

योग्य है। यह है कि अपीलार्थी द्वारा किसी अन्य वरीय न्यायालय में इसी वाद से संबंधित अपील वाद दायर नहीं किया गया है। यह है कि निम्न न्यायालय द्वारा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों पर ध्यान नहीं दिया गया है। यह है कि अंचल अधिकारी, प्रतापपुर द्वारा अपीलार्थी का दखल–कब्जा को नजर अंदाज किया गया है। इस तरह अंचल अधिकारी, प्रतापपुर का आदेश को खारिज करने के योग्य है। यह है कि अंचल अधिकारी, प्रतापपुर द्वारा भूमि का खतियान पर ध्यान नहीं दिया गया है। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अंचल अधिकारी, प्रतापपुर का विविध वाद सख्या–08/2020–21 में दिनांक–10.03.2021 को पारित आदेश को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

**प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित बहस में यह उल्लेखित किया है कि**–"यह कि यह वर्तमान अपील विपक्षी के विरुद्ध अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के द्वारा दिनांक–10.03.2021 को पारित आदेश के विरुद्ध लाया गया है। यह कि अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के द्वारा बिना विचार किये ही गलत ढंग से आदेश पारित किया गया है। यह कि अपीलार्थी का प्रश्नगत जमीन साकिन मौजा–बरूरा, थाना–कुन्दा, अंचल–प्रतापपुर जिला–चतरा के अंदर खाता संख्या–27, प्लॉट सख्या–506, रकवा–6.48 एकड़ भधे 1.23 एकड़ जमीन हेतु लाया गया है, खाता संख्या–27, प्लॉट सख्या–506, रकवा–6.48 एकड़ जमीन सर्वे खतियान में अपीलार्थी के दादा नवाब खॉ पिता नूरदली खॉ एवं हकदाद खॉ थे। यह कि नवाब खॉ एवं हकदादा खॉ अपने जीवन काल में खानगी बंटवारा के द्वारा उपरोक्त वर्णित जमीन को आधा हिस्सा बांट लिये तथा पृथक रूप से बंटवारा कर लिये, नवाब खॉ एवं हकदाद खॉ का वंशावली इस लिखित बहस के साथ संलग्न किया जा रहा है। यह कि नवाब खॉ अपने वारिसान के रूप में तीन पुत्रों के छोड़कर मरे, जिनका नाम क्रमशः इनामन खॉ, हबिब खॉ एवं ईरसाद खॉ

काबिज दखलकार हुए। यह कि इमामन खॉं अपने वारिसान के रूप में शाहीद खॉं को छोड़कर मरे। यह कि शाहीद खॉं अपने वारिसान के रूप में दो पुत्र को छोड़कर मरे, जिनका नाम क्रमशः जहीर खॉं एवं आला खान को छोड़कर मरे। यह कि हबिब खॉं दो पुत्र को छोड़कर मरे जिनका नाम अकुब खॉं एवं गफूर खॉं उसी प्रकार से ईरशाद खॉं ने दो पुत्र जसमुद्दीन खॉं एवं कशमुद्दीन खॉं को छोड़कर मरे, जो अपने पिता के मरने के बाद शांतिपूर्वक काबिज दखलकार हुए। यह कि श्रीमान् का ध्यान इस बिन्दु पर आकृष्ट कराना है कि कसमुद्दीन खॉं को पैतृक सम्पति पारिवारीक बंटवारा में खाता संख्या 27, प्लॉट संख्या 506, रकवा 6.48 एकड़ में 1.23 एकड़ जमीन हिस्से में मिला है, जिसपर अपीलार्थी के पिता कसमुद्दीन खॉं काबिज दखलकार हुए। यह कि यह भी महत्वपूर्ण बात उल्लेख करना है कि अपीलार्थी के पिता कसमुद्दीन खॉं के नाम से खाता संख्या 27, प्लॉट संख्या 506, रकवा 6.48 एकड़ जमीन में पारिवारीक बंटवारा में 1.23 एकड़ जमीन मिला जो जमीन्दारी उन्मूलन के बाद डिमाण्ड खुलकर सरकारी मालगुजारी रसीद निर्गत होने लगा, जो अपने जीवन काल तक शांतिपूर्ण ढंग से दखलकार रहा तथा कसमुद्दीन खॉं, कालु खॉं, ताज खॉं, फैयाज खॉं एवं अनवर खॉं हुए, जो पिता के मरने के बाद शांतिपूर्वक काबिज दखलकार चले आ रहे हैं। यह कि प्रश्नगत जमीन पर अपीलार्थी शांतिपूर्ण ढंग से काबिज दखलकार चले आ रहे हैं। यह कि अपीलार्थी मसरूद्दीन खॉं अपने पिता के हिस्से वाली जमीन का सरकारी रसीद निग्रत करने हेतु अंचल अधिकारी, प्रतापपुर आवेदन दिये, जिसपर भू–राजस्व कर्मचारी से रिपोर्ट की मॉंग की गई, जो भू–राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षके के द्वारा जॉंच किया गया, जिसमें अपीलार्थी/आवेदक के पिता कसमुद्दीन खॉं का शांतिपूर्ण दखल–कब्जा पाया गया तथा विपक्षी का प्रश्नगत जमीन संदेहात्मक जमाबंदी किया गया है, विपक्षी मनगढ़ंत बातों के आधार पर अपीलार्थी के पैतृत जमीन को हड़पना

चाहता है। यह कि विपक्षी का यह भी कहना गलत है कि सुपेरीयर जमीन्दार ने गंगा प्रसाद से जमीन्दारी छीन लिया गया, मौजा-बरूरा का खाता सख्या 27 का जमीन्दार गंगा प्रसाद थे तथा गंगा प्रसाद का जमीन्दारी समाप्त नही हुआ था। यह कि श्रीमान् का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि खाता संख्या 27, प्लॉट संख्या 506, रकवा 6.48 एकड़ जमीन अपीलार्थी के पूर्वज नवाब खॉ एवं हकदाद खॉ का था, जो अपने जीवन काल तक शांतिपूर्वक काबिज दखलकार रहे। नवाब खॉ तथा हकदाद खॉ के बीच बंटवारा हो गया था पारिवारीक बंटवारा में अपीलार्थी के पिता कसमुदीन खॉ को खाता संख्या 27, प्लॉट संख्या 506, रकवा 6.48 एकड़ में से 1.23 एकड़ जमीन हिस्सा में मिला था। यह कि रैयती जमीन का निलाम नहीं हुआ, मउआर जगदीशवरजीत सिंह का कभी भी जमीन्दारी नहीं रहा तथा विपक्षी या इनके पूर्वज का दखल-कब्जा नहीं पाया गया है, परंतु इसके बावजुद भी अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के द्वारा अपने आदेश में स्वत्व मामला से संबंधित कहकर आदेश पारित किया है। यह कि मान्यवर का ध्यान आकृष्ट कराना है कि विपक्षी का जमाबंदी संदेहात्मक है तथा दखल-कब्जा नहीं है तो ऐसी स्थिति में विद्वान अंचल अधिकारी को मसरूदीन खॉ के नाम से जमाबंदी कायम नहीं था, परंतु अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के द्वारा केवल स्वत्व का मामला कहकर आदेश पारित किया गया है, जबकि अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के द्वारा खाता संख्या 27, प्लॉट संख्या 506, रकवा-6.48 एकड़ मधे 1.23 एकड़ जमीन **मुस्तकीम मियॉ**, के नाम से चल रहे जमाबंदी को संदेहात्मक बताया गया है तथा दखल-कब्जा होना भी नहीं बताया गया है, इसके बावजुद भी जमाबंदी रद्द करने का आदेश नहीं किया गया है। यह कि आवेदक का पूर्वज विवादित जमीन पर शांतिपूर्वक काबिज दखलकार रहे तथा स्थानीय जमीन्दार गंगा प्रसाद थे, जो कभी भी इनकी जमीन्दारी निलाम नहीं हुई, विपक्षी केवल मनगढ़ंत बातों के आधार पर अपने जवाब में उल्लेख किया है। यह कि जब

स्थानीय जमीन्दार गंगा प्रसाद का जमीन निलाम ही नहीं हुआ तो सुपेरियर जमीन्दार जगदीश्वर जीत सिंह के द्वारा निर्गत किया गया हुकुमनामा रिटर्न, जमीन्दारी रसीद दिखाया गया है, जो जाली एवं बनावटी है। यह कि विपक्षी मुरत्तकीम मियाँ गलत ढंग से जाली हुकुमनामा के आधार पर कर्मचारी को मेल में लाकर गलत ढंग से जमाबंदी अपने नाम से करवाया है, जो अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के पारित आदेश से स्पष्ट होता है। यह कि विपक्षी अपने लिखित कथन में आवेदक के वंशावली को दर्शाया है, जो नवाब खाँ के वंशज होना आवेदक को बताया है तथा हिस्सा के रूप में 10 डी0 जमीन होना बताया गया है, इस बात से विपक्षी के लिखित कथन से स्पष्ट होता है कि आवेदक काश्तियानी जमीन कभी भी निलाम नहीं हुआ है तथा जाली हुकुमनामा रिटर्न बनाकर आवेदक के जमीन को हड़पना चाह रहा है। यह कि आवेदक के द्वारा दाखिल किया गया मूल रिटर्न का सच्ची अभिप्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति आवेदक के द्वारा दाखिल किया गया हे, जो श्रीमान् के अभिलेखागार से सच्ची अभिप्रमाणित प्रतिलिपि लिया गया है। उसमें विपक्षी का पश्नगत जमीन को रिटर्न में नही दर्शाया गया है। यह कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 के तहत् ध्यान आकृष्ट कराना है कि विपक्षी अपने कथन को अपने जवाब में उल्लेखित करता है, तो वह कथन विपक्षी बाध्यकारी होता है। विपक्षी के द्वारा दाखिल किया गया जवाब से आवेदक काजमीन होना एवं इनके दखल–कब्जा में चले आने की बात की संपूष्टी होता है तथा अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के द्वारा भी आवेदक मसरूद्दीन का दखल कब्जा खाता संख्या 27 प्लॉट संख्या 506 रकवा 6.48 एकड़ मधे 1.23 एकड़ पर पाया है तथा विपक्षी के पिता मुरत्तकीम मियाँ के नाम से चल रही जमाबंदी को संदेहात्मक बताया है। यह कि विपक्षी के पिता मुरत्तकीम मियाँ के नाम से चल रही जमाबंदी जो बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश का ही जमाबंदी अवैध ढंग से चला आ रहा है। यह कि जमाबंदी से

संबंधित उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्णय भी दिया गया है कि "**अवैध ढंग से चली आ रही जमाबंदी को रद्द करने का अधिकार अंचल अधिकारी को ही प्राप्त है,** (J.C.R. 2009 Vol. 2 Page No. 153 Jharkhand High Court) यह कि झारखण्ड हाई कोर्ट ने जमाबंदी से संबंधित निर्णय दिया है कि "Jamabandi based on forged sada Hukunama in collusion with the govt. officials without obtaining order of competent authority is illegal and liable to be cancelled (J.C.R. 2008, Vol. , Page No. 428, Jharkhand High court)" यह कि उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी का जमाबंदी अवैध एवं संदेहास्पद है, तथा आवेदक मसरुद्दीन खान का खाता सख्या 27, प्लॉट सख्या 506, रकवा 6.48 एकड़ मधे 1.23 एकड जमीन का पुनः जमाबंदी कायम किया जाना आवश्यक है। यह कि अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के द्वारा पारित किया गया आदेश को निरस्त करते हुए आवेदक मसरुद्दीन खान के नाम से खाता संख्या 27, प्लॉट सख्या 506 रकवा 6.48 एकड मधे 1.23 एकड़ का पुनः जमाबंदी कायम करने की कृपा की जाय। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि विद्वान अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.03.2021 को विविध वाद सख्या 08/2020-21 में पारित आदेश को निरस्त करते हुए आवेदक के नाम से जमाबंदी खोलने के आलोक में आदेश पारित किया जाय तथा अंचल अधिकारी, प्रतापपुर को लगान लेकर सरकारी मालगुजारी रसीद निर्गत करने हेतु निर्देश देने की कृपा की जाय।

## *वंशावली*

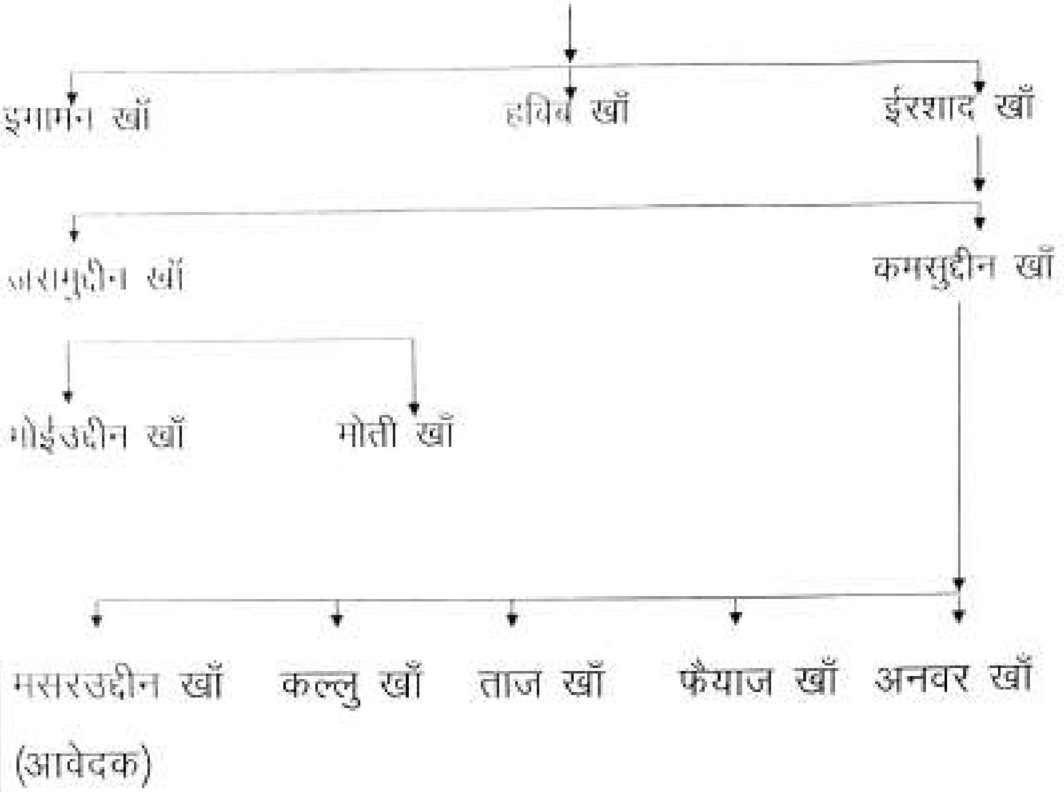


**द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता अपने लिखित अभिकथन में यह उल्लेखित किया है कि**–वर्तमान अपील वाद द्वितीय पक्ष के विरूद्ध पोषणीय नहीं है। यह है कि प्रथम पक्ष को यही जानकारी नहीं है कि अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के समक्ष किस भूमि के लिए आवेदन किया गया है तथा अंचल अधिकारी, प्रतापपुर द्वारा बिना जॉच किए हुए ही वाद को निष्पादित कर दिया गया है। यह है कि मौजा–बरूरा, थाना–प्रतापपुर, खाता संख्या 27 प्लॉट संख्या 506 रकवा 6.48 एकड़ मधे रकवा 1.23 एकड़ भूमि के संबंध में तथ्य निम्न प्रकार है। यह है कि मौजा बरूरा, खाता संख्या–27, प्लॉट संख्या–506, कुल रकवा–6.48 एकड़ भूमि नवाब खान पिता–नुरदली खान, जाति पठान एवं हकदाद खान, पिता हजार खान के नाम से खतियान में बराबर हिस्सा दर्ज है। यह है कि गंगा प्रसाद खतियान के अनुसार उक्त भूमि का खेवटदार/पूर्व जमीन्दार थे। जमीन्दारी उन्मूलन के पूर्व मौजा बरूरा के भूमि का खेवटदार गंगा प्रसाद के द्वारा लगान नहीं देने के कारण बड़े

जमीन्दार के वंशज मौयार जगदीश्वरजीत सिंह के द्वारा संबंधित भूमि को निलाम कर दिया गया। यह है कि बड़े जमीन्दार के द्वारा दिनांक- 17.05.1940 को द्वितीय पक्ष के पिता मुस्तकीम मियाँ के नाम से खाता संख्या-27 प्लॉट संख्या-506, रकवा-2.20 एकड़ भूमि एवं अन्य भूमि सहित कुल-9.64 एकड़ का हुकुमनामा निर्गत किया गया। यह है कि मुस्तकीम मियाँ के नाम से खाता संख्या-27 प्लॉट संख्या-506, रकवा-2.20 एकड़ भूमि का एक दुसरा हुकुमनामा भी जमीन्दार द्वारा निर्गत किया गया। इस प्रकार मौजा बरूरा खाता संख्या-27, प्लॉट संख्या-506 अंतर्गत कुल रकवा-4.42 एकड़ भूमि मुस्तकीम मियाँ का हो गया। यह है कि मुस्तकीम मियाँ हुकुमनामा से भूमि प्राप्त होने के बाद जमींन्दार को लगान देकर उक्त भूमि पर दखलकार हुए। जमीन्दारी उन्मूलन के बाद मुस्तकीम मियाँ के नाम सरकारी दस्तावेज में दर्ज हुआ। उसके बाद लगान देकर सरकारी रसीद प्राप्त किए। मुस्तकीम मियाँ के मृत्यु के बाद उनके वंशज समसुद्दीन मियाँ के द्वारा राजस्व लगान देकर सरकारी रसीद प्राप्त किया जा रहा है। यह है कि उक्त भूमि पर समसुद्दीन मियाँ का शांतिपूर्ण दखल-कब्जा है। यह है कि गौयार जगदीश्वरजीत सिंह द्वारा दाखिल क्षतिपूर्ति वाद संख्या-70/1970-71 में भी मुस्तकीम मियाँ का नाम दर्ज है। यह है कि आवेदक मसरूद्दीन खान द्वारा मौजा-बरूरा खाता संख्या-27, प्लॉट संख्या-506, रकवा-6.48 एकड़ मधे रकवा-1.23 एकड़ भूमि का पारिवारिक बंटवारा के आधार पर दावा किया जा रहा है, जो पुरी तरह गलत, फर्जी एवं तथ्य से भिन्न है। इस संदर्भ में उल्लेखित करना है कि खाता संख्या-27, प्लॉट संख्या-506, कुल रकवा-6.48 एकड़ भूमि पूर्व में ही जमीन्दार के द्वारा जमीन्दारी उन्मूलन के पहले ही निलाम कर दिया था, इस प्रकार अपीलार्थी के द्वारा पारा 01 में उल्लेखित किया गया कथन गलत है। यह है कि आवेदक का वंशावली आवेदन में अंकित है। इस प्रकार खाता संख्या-27,

प्लॉट संख्या–506, रकवा–6.48 एकड़ भूमि में आवेदक को सिर्फ 0.10 एकड़ भूमि ही मिल सकता है। इसलिए आवेदक के द्वारा यह कहना कि पारिवारिक बंटवारा में 1.23 एकड़ प्राप्त हुआ है, पूरी तरह से गलत है। यह है कि अपीलार्थी के द्वारा पारा 02 में उल्लेखित किया गया कथन गलत है एवं विपक्षी के द्वारा भी स्वीकार नहीं किया जाता है। यह है कि खतियान की प्रति का अवलोकन करने से पता चल जायेगा कि अपीलार्थी के पूर्वज रैयत थे, इस प्रकार अपीलार्थी के द्वारा संबंधित भूमि के खाता को बकास्त बताया जाना गलत है। यह है कि अपीलार्थी या अपीलार्थी के पूर्वज का कभी भी प्रश्नगत भूमि पर दखल कब्जा नहीं रहा है। यह है कि मौजा–बरूरा, खाता संख्या–27, प्लॉट संख्या–506, रकवा–6.48 एकड़ भूमि विपक्षीगण को निलामी से प्राप्त होने के बाद से ही लंबे समय से उक्त प्लॉट की भूमि 4.42 एकड़ भूमि पर सम्पूर्ण दखल कब्जा रहा है। यह है कि अपील आवेदन के पारा 03 में अपीलार्थी के द्वारा दिया गया कथन फर्जी एवं बनावटी है। यह है कि जमीन्दारी उन्मूलन के पूर्व ही जमीन का निलामी हो गया था तो आवेदक के द्वारा यह कहना कि उनके पिता के नाम से जमाबंदी कायम हुआ था, कानून दायरे में गलत है। यह है कि अपीलार्थी के द्वारा अंचल अधिकारी के समक्ष दखल कब्जा से संबंधित कोई भी दस्तावेज समर्पित नहीं किया गया है। द्वितीय पक्ष के अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के समक्ष अपने दखल कब्जा एवं स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज समर्पित किया गया, अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के द्वारा द्वितीयपक्ष के दखल कब्जा को स्वीकार भी किया, परन्तु अंचल अधिकारी, प्रतापपुर के द्वारा गलत तरीके से अपने आदेश दिनांक–10.03. 2021 में खाता संख्या–27, प्लॉट संख्या–506, रकवा–1.23 एकड़ भूमि को संदेहात्मक बताया गया है। इस संदर्भ में अंकित करना है कि खाता संख्या–27, प्लॉट संख्या–506, रकवा–4.42 एकड़ भूमि से संबंधित कागजात द्वितीय पक्ष के द्वारा समर्पित किया गया है। यह है कि निम्न न्यायालय के

आदेश दिनांक–10.03.2021 के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जायेगा कि राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा भी आवेदक का समर्थन नहीं किया गया है। साथ ही साथ अंचल कर्मचारी द्वारा यह कहा गया कि मौजा–बरूरा, खाता संख्या–27, प्लॉट संख्या–506, में अन्य लोग सोबराती मियां, रमन महतो, मुस्कीम मियां एवं मेघन महतो का दखल कब्जा है तथा उक्त खाता प्लॉट की भूमि का जमाबंदी चल रहा है। अपीलार्थी द्वारा दायर किया गया अपील खारिज करने के योग्य है।" द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अपील आवेदन को खारिज करने तथा खाता संख्या–27, प्लॉट संख्या–506, रकवा–1.23 एकड़ भूमि का मुस्तकीम मियां के नाम से कायम जमाबंदी को जारी रखने हेतु अनुरोध किया गया है।

**अचंल अधिकारी, प्रतापपुर द्वारा अपने आदेश फलक में उल्लेखित किया है कि**–आवेदक मसरूदीन खान, पिता–स्व0 कसमुदीन खान, ग्राम–बरूरा द्वारा समर्पित आवेदन पत्र का अवलोकन किया। ग्राम–बरूरा के थाना संख्या–118 के अंतर्गत खाता संख्या–27, प्लॉट संख्या–506, रकवा–6.48 ए0 भूमि मधे रकवा 1.23 ए0 भूमि का जमाबंदी कायम करने से संबंधित है। वर्णित भूमि का राजस्व उपनिरीक्षक से जॉच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से मांग की गई। राजस्व उपनिरीक्षक का जॉच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम बरूरा के थाना संख्या 118 के अंतर्गत खाता संख्या 27 प्लॉट संख्या 506 रकवा 6.48 ए0 भूमि सर्वे खतियान में नवाब खान पिता नुर्दली खान के नाम से दर्ज है। सर्वे खतियान के अनुसार खाता संख्या 27 प्लॉट संख्या 506 रकवा 6.48 ए0 भूमि रैयती खाते की है। जिसकी जमाबंदी निम्नवत् है:–सोबराती मियॉ ग्राम–बरूरा के थाना संख्या–118, खाता संख्या–27, प्लॉट संख्या–506 रकवा–0.98 ए0 भूमि जो पंजी 2 के पृष्ठ संख्या–15/2 पर जमाबंदी कायम है। रमन महतो ग्राम

बरूरा के थाना संख्या–118 के खाता संख्या–27, प्लॉट संख्या–506 रकवा–0.62 2/3 ए0 भूमि की पंजी 2 के पृष्ठ सख्या–53/2 पर जमाबंदी कायम है। मुस्तकीम मियाँ ग्राम बरूरा के थाना सख्या 118 के खाता संख्या 27 प्लॉट संख्या 506 रकवा–2.22 ए0 भूमि पंजी 2 के पृष्ठ संख्या–36/2 पर जमाबंदी कायम है। मेघन महतो ग्राम बरूरा के थाना संख्या 118 के खाता संख्या 27, प्लॉट संख्या 506 रकवा–1.42 2/3 ए0 भूमि की जमाबंदी पंजी 2 के पृष्ठ संख्या–68/1 पर जमाबंदी कायम है। मुस्तकीम मियाँ ग्राम–बरूरा के थाना सख्या 118 के खाता संख्या–27, प्लॉट संख्या–506, रकवा–1.23 ए0 भूमि की पंजी 2 के पृष्ठ संख्या 32/2 पर जमाबंदी कायम है। उपरोक्त वर्णित भूमि के संबंध में दोनो पक्षो को अपने–अपने भूमि दावा से संबंधित कागजात समर्पित करने हेतु मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय के मुहर के साथ नोटिस निर्गत किया गया। निर्गत नोटिस के आलोक में दोनो पक्ष अपने–अपने भूमि दावा से संबंधित कागजात समर्पित करने हेतु उपस्थित हुए। मोरत्तकिम मियाँ ग्राम बरूरा द्वारा खाता संख्या 27 प्लॉट संख्या 506 रकवा 1.23 ए0 भूमि हासिल करने से संबंधित कोई भी कागजात समर्पित नहीं किया गया। सर्वे खतियानी रैयत के बंशज मसरूदीन खान वगै0 ग्राम–बरूरा द्वारा सर्वे खतियान की छायाप्रति एवं सर्वे खतियानी रैयत से संबंधित वंशावली प्रस्तुत किया गया है। खाता संख्या 27 प्लॉट सख्या 506 रकवा 6.48 ए0 भूमि की जमाबंदी सोबराती मियाँ, मुस्तकीम मियाँ, रमन महतो एवं मेघन एवं महतो से संबंधित है। जिसमें उपरोक्त क्रमांक 5 में अंकित भूमि 1.23 ए0 का विवाद मुस्तकीम मियाँ एवं आवेदक मसरूदीन खान के बीच चल रहा है। कम्पनशेसन केश संख्या–70/1970–71 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि इस वाद में मुस्तकीम मियाँ के नाम से केवल एक ही जगह पर खाता संख्या 27 अंकित है जबकि जमाबंदी दो जगह क्रमशः 2.22 ए0 एवं 1.23 ए0 कायम किया गया है। खाता सख्या 27 में अन्य रैयतों सोबराती

मियाँ, रमन महतो एवं मेघन महतो का भी एक जमाबंदी ही कायम है। चूंकि विवाद 1.23 ए0 भूमि का है। अतः मुरतकीम मियाँ के नाम से 2.22 ए0 भूमि की जमाबंदी सही प्रतीत होती है जबकि 1.23 ए0 भूमि की जमाबंदी संदेहात्मक प्रतीत होती हैं। आवेदक मसरूद्दीन खान ने अपने दखल–कब्जा के आधार पर मुरतकीम मियाँ के नाम रकवा 1.23 ए0 भूमि की जमाबंदी को रद्द कर सर्वे रैयत के वंशजों मसरूद्दीन खान वगैरह के नाम से जमाबंदी कायम करने का अनुरोध किया है। चूंकि यह मामला निम्न न्यायालय के क्षेत्रान्तर्गत नहीं आता है। अतः आवेदक मसरूद्दीन खान अपना दावा सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है।

**उपरोक्त संबंधित पक्ष के द्वारा समर्पित लिखित कथन, समर्पित कागजात, अंचल अधिकारी, प्रतापपुर से प्राप्त अभिलेख एवं कागजात तथा अभिलेख में उपलब्ध अन्य कागजातों के आधार निम्नांकित बिन्दु परिलक्षित होते है :–**

1. खतियानी रैयती भूमि का मामला।
2. प्रथम पक्ष के द्वारा रैयती भूमि पारिवारिक बंटवारा में उनके पूर्वज को प्राप्त होने के आधार पर भूमि प्राप्त होने का दावा।
3. द्वितीय पक्ष के द्वारा हुकुमनामा से भूमि प्राप्त होने का दावा।
4. अन्य रैयतों का कायम जमाबंदी का मामला।

*1. खतियानी रैयती भूमि का मामला:–* **अचंल अधिकारी, प्रतापपुर द्वारा अपने आदेश फलक में उल्लेखित किया है कि–** "ग्राम बरूरा के थाना संख्या 118 के अंतर्गत खाता संख्या 27 प्लॉट संख्या 506 रकवा 6.48 ए0 भूमि सर्वे खतियान में नवाब खान पिता नुर्दली खान के नाम से दर्ज है। सर्वे खतियान के अनुसार खाता संख्या 27 प्लॉट संख्या 506 रकवा 6.48 ए0 भूमि **रैयती खाते** की है।"

*2. प्रथम पक्ष के द्वारा रैयती भूमि पारिवारिक बंटवारा में उनके पूर्वज को प्राप्त होने के आधार पर भूमि प्राप्त होने का दावा:–* प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने अपने लिखित कथन में यह उल्लेखित किया है कि–" अपीलार्थी का प्रश्नगत जमीन साकिन मौजा–बरूरा, थाना–कुन्दा, अंचल–प्रतापपुर जिला–चतरा के अंदर खाता संख्या–27, प्लॉट सख्या–506, रकवा–6.48 एकड़ मधे 1.23 एकड़ जमीन हेतु लाया गया है, खाता संख्या–27, प्लॉट सख्या–506, रकवा–6.48 एकड़ जमीन सर्वे खतियान में अपीलार्थी के दादा नवाब खॉ पिता नूरदली खॉ एवं हकदार खॉ थे। यह कि नवाब खॉ एवं हकदाद खॉ अपने जीवन काल में **खानगी बंटवारा** के द्वारा उपरोक्त वर्णित जमीन को आधा हिस्सा बांट लिये तथा पृथक रूप से बंटवारा कर लिये। " प्रथम पक्ष के द्वारा खाता संख्या–27, प्लॉट संख्या–506 के संदर्भ में कसमुद्दीन खॉ के नाम से दो रसीद संख्या–252904 एवं 056102 समर्पित किया गया है। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अचंल अधिकारी, प्रतापपुर का आदेश दिनांक–10.03.2021 को विविध वाद संख्या–08/2020–21 में पारित आदेश को निरस्त करते हुए आवेदक के नाम से खान पुनः जमाबंदी कायम करने का अनुरोध किया गया है।

*3. द्वितीय पक्ष के द्वारा हुकुमनामा से भूमि प्राप्त होने का दावा:–* **द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने अपने लिखित कथन में उल्लेखित किया है कि–**"यह है कि मौजा–बरूरा, थाना–प्रतापपुर, खाता संख्या 27 प्लॉट संख्या 506 रकवा 6.48 एकड़ मधे रकवा 1.23 एकड़ भूमि के संबंध में तथ्य निम्न प्रकार है। यह है कि मौजा बरूरा, खाता संख्या–27, प्लॉट संख्या–506, कुल रकवा–6.48 एकड़ भूमि नवाब खान पिता–नुरदली खान, जाति पठान एवं हकदाद खान, पिता हजार खान के नाम से खतियान में बराबर हिस्सा दर्ज है। यह है कि गंगा प्रसाद खतियान के अनुसार उक्त भूमि का खेवटदार/पूर्व जमीन्दार थे। जमीन्दारी उन्मूलन के पूर्व मौजा बरूरा

के भूमि का खेवटदार गंगा प्रसाद के द्वारा लगान नहीं देने के कारण बड़े जमीन्दार के वंशज मउआर जगदीश्वरजीत सिंह के द्वारा संबंधित भूमि को निलाम कर दिया गया। यह है कि बड़े जमीन्दार के द्वारा दिनांक–17.05.1940 को द्वितीय पक्ष के पिता मुस्तकीम मियाँ के नाम से खाता संख्या–27 प्लॉट सख्या–506, रकवा–2.20 एकड़ भूमि एवं अन्य भूमि सहित कुल–9.64 एकड़ का **हुकुमनामा** निर्गत किया गया। यह है कि मुस्तकीम मियाँ के नाम से खाता संख्या–27 प्लॉट सख्या–506, रकवा–2.20 एकड़ भूमि का एक दूसरा **हुकुमनामा** भी जमीन्दार द्वारा निर्गत किया गया। इस प्रकार मौजा बरूरा खाता संख्या–27, प्लॉट संख्या–506 अंतर्गत कुल रकवा–4.42 एकड़ भूमि मुस्तकीम मियाँ का हो गया। यह है कि **मुस्तकीम मियाँ हुकुमनामा से भूमि प्राप्त** होने के बाद जमींन्दार को लगान देकर उक्त भूमि पर दखलकार हुए। जमीन्दारी उन्मूलन के बाद मुस्तकीम मियाँ के नाम सरकारी दस्तावेज में दर्ज हुआ। उसके बाद लगान देकर सरकारी रसीद प्राप्त किए। मुस्तकीम मियाँ के मृत्यु के बाद उनके वंशज समसुद्दीन मियाँ के द्वारा राजस्व लगान देकर सरकारी रसीद प्राप्त किया जा रहा है। यह है कि उक्त भूमि पर समसुद्दीन मियाँ का शांतिपूर्ण दखल–कब्जा है।''

**4. अन्य रैयतों का कायम जमाबंदी का मामला:– अचंल अधिकारी, प्रतापपुर द्वारा आदेश फलक में उल्लेखित किया है कि–**''ग्राम बरूरा के थाना संख्या 118 के अंतर्गत खाता सख्या 27 प्लॉट संख्या 506 रकवा–6.48 ए0 भूमि सर्वे खतियान में नवाब खान पिता नुर्दली खान के नाम से दर्ज है। सर्वे खतियान के अनुसार खाता संख्या 27 प्लॉट सख्या 506 रकवा 6.48 ए0 भूमि रैयती खाते की है। जिसकी जमाबंदी निम्नवत् है :–सोबराती मियाँ ग्राम–बरूरा के थाना संख्या–118, खाता सख्या–27, प्लॉट संख्या–506 **रकवा–0.98 ए0 भूमि जो पंजी 2 के पृष्ठ सख्या–15/2** पर जमाबंदी कायम है। रमन महतो ग्राम बरूरा के थाना संख्या–118 के खाता संख्या–27,

प्लॉट संख्या–506 **रकवा–0.62 2/3 ए0 भूमि की पंजी 2 के पृष्ठ संख्या–53/2** पर जमाबंदी कायम है। मुस्तकीम मियॉं ग्राम बरूरा के थाना संख्या 118 के खाता संख्या 27 प्लॉट संख्या 506 **रकवा–2.22 ए0 भूमि पंजी 2 के पृष्ठ संख्या–36/2** पर जमाबंदी कायम है। मेघन महतो ग्राम बरूरा के थाना संख्या 118 के खाता संख्या 27, प्लॉट संख्या 506 **रकवा–1.42 2/3 ए0 भूमि की जमाबंदी पंजी 2 के पृष्ठ संख्या–68/1** पर जमाबंदी कायम है। मुस्तकीम मियॉं ग्राम–बरूरा के थाना संख्या 118 के खाता संख्या–27, प्लॉट संख्या–506, **रकवा–1.23 ए0 भूमि की पंजी 2 के पृष्ठ संख्या 32/2** पर जमाबंदी कायम है।" उपरोक्त कायम जमाबंदी का कुल **रकवा–6.48 1/3** एकड़ है जबकि सर्वे खतियान के अनुसार खाता संख्या 27 प्लॉट संख्या 506 **रकवा 6.48 ए0** भूमि रैयती खाते की है। अंचल अधिकारी, प्रतापपुर द्वारा आदेश फलक में यह भी उल्लेखित किया है कि–"मुस्तकीम यिमॉं के नाम से 2.22 ए0 भूमि की जमाबंदी सही प्रतीत होती है जबकि 1.23 ए0 भूमि की जमाबंदी संदेहात्मक प्रतीत होती हैं।"

उपरोक्त तथ्यों के अलावे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक महत्त्वपूर्ण Judgement इस तरह है।

**In the case of "Sitaram Choubey & Ors. - versus - State of Bihar & Ors., reported in 1993 (2) PLJR 255" as well as the Supreme Court in the case of of "Suraj Bhan & Ors.- versus- Financial Commissioner & Others, reported in (2007) 6 SCC 186" have held that entries in the revenue records does not confer title on a person whose name appears in record of-rights. The creation of Jamabandi neither creates any right and title in favour of one or the other nor cancellation of Jamabandi extinguishes right and title of actual owner. The entries in the revenue records or Jamabandi have only "fiscal purpose" and be ownership in conferred on the basis of such entries. The title of the property can only be decided by a competent civil court.**

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के आधार पर संबंधित जमीन में स्वामित्व का मामला परिलक्षित होता है। खतियान के मुताबिक जमीन का किस्म रैयती है। इस न्यायालय से कोई फैसला देना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस मामलें में Competent civil court/ सक्षम न्यायालय ही निर्णय ले सकता है। संबंधित पक्ष सक्षम न्यायालय की शरण मे जा सकते है।

संबंधित मूल अभिलेख एवं आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, प्रतापपुर को भेजें।

वाद की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।

(लेखापित एवं संशोधित)

24/08/22
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

24/08/22
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

Digitally signed by GOURANG MAHATO
Date: 2023.08.24 22:38:02 -07:00
Location: 2409:40e4:6e:dc94:a228:730f:89ad:22f